4983

FAX NO. :0522 2238094 31 Jul. 2012 5:59PM

To – श्री पाटनी जी
2005 – 4

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग–5
संख्या–939/1–5–2012–155/2011–रा0–5
लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 अधिनियम संख्या–3, सन् 1901) की धारा 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–2875/1–5–2011–155/2011–रा0–5, दिनांक 28 सितम्बर, 2011 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल उक्त अधिसूचना में सृजित विद्यमान जिला प्रबुद्धनगर का नाम परिवर्तित कर जिला शामली करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या–939(1)/1–5–2012–155/2011–रा0–5, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– जिलाधिकारी, शामली।
2– प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक राजकीय प्रेस शाखा, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को तत्काल दिनांक 30 जुलाई, 2012 के असाधारण गजट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित 500 मुद्रित प्रतियां शासन के राजस्व अनुभाग–5, 20 प्रतियां जिलाधिकारी, शामली, 20 प्रतियां आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर तथा 50 प्रतियां आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3– शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8– राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ/निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।
9– गार्ड फाइल।

भवदीय,

(राम चन्द)
विशेष सचिव।

खण्ड–4
संयुक्त निदेशक (पं0)
11/6/13